

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133-अ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2003—ज्येष्ठ 9, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/31/2003/वा.कर (आब.)/पांच (53).—छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 5 सन् 2003) की धारा 1 की उपधारा (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त (संशोधन) अध्यादेश की प्रभावशीलता की तिथि 1 जून, 2003, नियत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक एफ-10/31/2003/वा.कर (आब.)/पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/31/2003/वा.कर (आब.)/पांच (53), दिनांक 30 मई 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 30th May 2003

NOTIFICATION

No. F-10/31/2003/CT (Ex.)/V (53).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (ii) of Section 1 of the Chhattisgarh Excise (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 5 of 2003), the State Government hereby appoints the 1st June, 2003 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.